न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 12 / 2025

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री सोनू पुत्र सतीश निवासी सुभाष नगर, गोलपुरा रोड, अशोक विहार भरतपुर भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार रसद

निर्णय **दिनांक 12.11.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टॉफ गोलपुरा रोड स्थित अग्रवाल फास्टफूड पर पहुॅचे। मौके पर प्रतिष्ठान पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग रेग्यूलेटर नली के माध्यम से भट्टी के रूप में व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर से कचौडी, समोसा एवं अन्य फास्टफूड बनाकर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था। प्रतिष्ठान के अन्दर 10 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित पाये गये। इस स्थान पर इनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक चूल्हा मय नली राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी0 द्वारा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि करने के लिये पाया गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक चूल्हा मय नली राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक चूल्हा मय नली राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 11 घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही जप्त एक चूल्हा मय नली आदि सामान का नियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर